UPVR010058542026

IN THE COURT OF ADJ/F.T.C. (14th F.C.), Varanasi

P.O.– (Manoj Kumar–II), (HJS)– UP01827

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या- 1951/2026

आजाद जायसवाल पुत्र स्व. सुभाषचन्द्र जायसवाल,
निवासी- मकान नम्बर सी. 20/2 एक्स-7 ए पिशाचमोचन, थाना चेतगंज, जिला वाराणसी।

अभियुक्त/आवेदक

बनाम

सरकार

विपक्षी/अभियोजन

मु.अ.सं.-313/2025
धारा- 8/21/22/29 NDPS Act
थाना- रामनगर, वाराणसी।

1- अभियुक्त आजाद जायसवाल की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र पत्र संख्या- 1951/2026 मु.अ.सं.-313/2025, धारा 8/21/22/29 NDPS Act, थाना- रामनगर, जिला-वाराणसी के अभियोग में प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्त/आवेदक प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 16.12.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है ।

2- संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 09/12/2025 वादी मुकदमा/उप निरीक्षक प्रशांत पाण्डेय, चौकी प्रभारी सूजाबाद मय हमराहियान चौकी क्षेत्र में मामूर होकर पडाव तिराहे पर मौजूद था कि तभी थाना रोहनिया वाराणसी के उप निरीक्षक दिनेश सिह मय हमराहियान उपस्थित आये वे लोग आपस में बात चीत कर रहे थे तभी उप निरीक्षक दिनेश सिह ने बताया कि उनके थाना क्षेत्र में काफी बडी मात्रा मे ANTF यूनिट लखनऊ की टीम व थाना पुलिस द्वारा नशीला कफ सीरप बरामद किया गया है जिसमें पता चला कि वादी मुकदमा के क्षेत्र में भी कहीं नशीले सीरप का अवैध गोदाम है । उपरोक्त सूचना के आधार पर मुखबिर को तलब कर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में विस्तार से बताकर मुनासिब हिदायत देकर मामूर किया गया तदोपरान्त वह मय हमराह पुलिस बल के व थाना रोहनिया के उप निरीक्षक व हमराह पुलिस बल के पतारसी सुरागरसी करते हुए डोमरी बंधा पर मौजूद था कि तभी मामूर मुखबिर खास ने आकर बताया कि उसने जिस नशीले सीरप गोदाम के विषय में बताया था, उसने पता किया है कि मनोज यादव नाम के व्यक्ति का सूजाबाद आर्मी ग्राउण्ड के पास एक गोदाम स्थित है जिसमे भारी मात्रा में नशीला कफ सीरप छिपाकर रखा गया है यदि जल्दी किया जाए तो पकड़ा जा सकता है।

उक्त सूचना पर पुलिस वालों ने मुखबिर को साथ लेकर उसके बताये स्थान पर पहुँचे । मुखबिर ने एक बाउण्ड्रीबाल जिसमे नीले रंग का गेट लगा था, की ओर इशारा कर बताया

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/
एफ.टी.सी.(14 वाँ वि.आ.),वाराणसी।

Digitally signed by MANOJ KUMAR
Date: 2026.07.23 17:11:04 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

कि इसी परिसर के अंदर कमरे में कफ सीरप छिपाकर रखा गया है । पुलिस वाले हिकमत अमली से बाउण्ड्रीबाल में लगे गेट पर पहुँचे जहाँ एक व्यक्ति खड़ा था जिसे रोककर नाम, पता पूछा तो_उसने अपना नाम रोहित कुमार वर्मा बताया उससे गोदाम के संबंध में पूछा गया तो बताया कि यह गोदाम मनोज यादव का है जिसकी देखरेख वह करता है, रोहित कुमार वर्मा से अंदर बने कमरो में क्या रखा है के संबंध में पूछा व कमरा खोलकर देखा तो कमरे में कफ सिरप रखा है, कमरो की चाबी मनोज यादव व उनके लड़के लक्ष्य के पास है, वही लोग जब आते है तो कमरा खोलते है और कमरे में रखे सीरप को वो जहां कहते है वहीं के लिये गाडी में लोड कर भेज दिया जाता है। चूंकि कमरे में ताला बंद है जिस कारण उपरोक्त के संबंध में प्रभारी निरीक्षक व कार्यपालक मजिस्ट्रेट सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली को जरिये दूरभाष सूचना दी गयी जिसके क्रम में मौके पर उपस्थित आये जिनको सूचना से अवगत कराया गया । मौके पर मौजूद रोहित कुमार वर्मा से मनोज यादव को कमरे की चाबी लेकर मौके पर बुलाने हेतु कहा गया जिस पर रोहित उपरोक्त द्वारा मनोज यादव को फोन किया गया लेकिन मनोज यादव का मोबाइल स्विच आफ था। कमरे के अंदर देखा गया तो काफी मात्रा में कार्टून/गते रखे थे जिन्हें खोलकर देखा गया तो उसमे कफ सिरप ESkuf Codeine Phosphate Triprolidine Hydrochloride सीरप 100 एमएल की शीशियों भरी हुयी थी । तत्पश्चात गोदाम कमरे की तलाशी के दौरान कुल 173 पेटी कफ सिरप बरामद हुयी, मौके पर उपस्थित औषधि निरीक्षक वाराणसी श्री चन्द्रेश द्विवेदी के समक्ष पुलिस वालों द्वारा पेटियों को खोलकर चेक किया गया तो प्रत्येक पेटी में 06 डिब्बे जिसमे प्रत्येक डिब्बे में 25 शीशी ESkuf Codeine Phosphate Triprolidine Hydrochloride सीरप 100 एमएल की बरामद हुयी जिनकी कुल संख्या 25950 शीशी है, बरामद शुदा शीशियों में कोडीन नामक नशीला पदार्थ है। गोदाम पर मौजूद पकडे गये व्यक्ति रोहित वर्मा उपरोक्त से बरामद कफ सीरप के संबंध में कड़ाई से पूछताछ करते हुए बिल बाउचर क्रय विक्रय अभिलेख व गोदाम का लाइसेस/ड्रग लाइसेंस मांगा तो दिखाने से कासिर रहा पूछताछ में बताया कि मनोज कुमार यादव व लक्ष्य यादव ही इसके संबंध मे पूरी बात बता सकते है।

मौके पर परिसर के अंदर खडी ONE TATA ACE गाडी जिस पर पंजीकरण नं0 UP65AR6253 अंकित है, के संबंध में रोहित उपरोक्त से पूछा तो बताया कि इसी गाड़ी से सीरप यहाँ लायी जाती है और मनोज यादव जहाँ कहते है वहाँ सीरप भेजी जाती है यह गाडी मनोज यादव द्वारा ही लाकर यहाँ खड़ी की गयी है, ई चालान एप से गाडी के पंजीकरण नं0 को चेक किया तो यह गाडी आजाद जायसवाल, मकान नं0 सी 20/2 एक्स-7ए के नाम पंजीकृत है। औषधि निरीक्षक द्वारा बतौर नमूना सील सर्व मोहर कर नियमानुसार जाँच व परीक्षण हेतु मौके पर फार्म नं0 17 ए व 18 पर अंकित करते हुए 20 सीसी-100 एमएल (05 अलग अलग बैच के कफ सीरप) कब्जे में लेकर नमूना तैयार किया गया। संग्रहीत नमूनों को जांच हेतु जन विश्लेषक प्रयोगशाला लखनऊ उ0प्र0 जॉच हेतु भेजा गया, जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर औषधि निरीक्षक वाराणसी द्वारा नियमानुसार ड्रग्स एण्ड कास्मेटिक्स एक्ट 1940 नियमावली, 1945 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अलग से परिवाद दाखिल किया गया। औषधि निरीक्षक द्वारा तैयार किये गये समस्त प्रपत्रों की एक प्रति व सर्व सील नमूने का एक भाग मौके पर ही रोहित कुमार वर्मा को प्राप्त कराया गया। फील्ड यूनिट द्वारा वास्ते जाँच परीक्षण हेतु 10 सीसी कफ सीरप लेकर मौके पर सर्व सील मोहर किया गया, बरामद शुदा कुल 25950 कफ सौरफ की शीशियों में से कुल 30 शीशियों को नमूना हेतु निकालने के

पश्चात शेष 25920 शीशियों को उसी पेटियो में रखवाकर सील सर्व मोहर किया गया। बरामद माल में से नमूना माल एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 52 ए के प्रावधानों के तहत न्यायालय के समक्ष निकाला गया। चूंकि मनोज यादव, लक्ष्य यादव व पकड़े गये व्यक्ति रोहित कुमार वर्मा का यह कृत्य धारा 8/21/22/29 एन.डी.पी.एस. एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, अतः पकड़े गये व्यक्ति रोहित को जुर्म धारा से अवगत कराते हुये कारण गिरफ्तारी बताकर बकायदा न्यायालय के आदेश के क्रम में धारा 38 बी.एन.एस.एस. के तहत लिखित अवगत कराते हुए, दिनांक 09.12.2025 को समय करीब 19.00 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया।

3- प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र में मुख्य रूप से आधार लिया गया है कि प्रार्थी का मुकदमा उपरोक्त में प्रथम दरख्वास्त जमानत है प्रार्थी की कोई भी दरख्वास्त जमानत सेशन न्यायालय द्वारा कभी खारिज नही की गयी है और न ही कोई दरख्वास्त जमानत माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन है। अभियोजन कथानक के अनुसार भी मुकदमा उपरोक्त की धाराओं में प्रार्थी के विरूद्ध कोई अपराध नही बनता है। अभियोजन कथानक सरासर कपोलकल्पित है । प्रथम सूचना रिपोर्ट व समस्त प्रपत्रों के आलोक से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त प्रकरण में नामित अभियुक्त नही है, ओर न ही मौके पर गिरफ्तार हुआ है। प्राथमिकी के अनुसार ही कथित बरामदगी व गिरफ्तारी अन्य अभियुक्त रोहित कुमार वर्मा का कोई स्वतन्त्र साक्षी नही है। घटना दिनांक 09/12/25 को समय शाम 7 बजे की है और उक्त परिसर लगे रोड है जहां भीड़-भाड़ लोगो का आना जाना रहता है, परन्तु किसी स्वतन्त्र साक्षी का न मिलना पूरे घटना को ही संदिग्ध बना देता है। कथित अपराध एनडीपीएस, एक्ट के तहत प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा किया जाना प्रतीत नही होता है। प्रार्थी/अभियुक्त का वाहन UP65AR6253 माल वाहक वन टाटा ए.सी.ई. जो भाड़े पर शहर में माल ढुलाई का कार्य करता है, इसी आधार पर प्रार्थी को अभियुक्त कायम किया गया है। उपरोक्त वाहन की बरामदगी परिसर के अन्दर होना बतायी गयी है, जबकि प्रार्थी का उपरोक्त वाहन जगह के अभाव में सूजाबाद स्थित इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन के पास खड़ी करता था, जिसको पुलिस ने उठाकर उपरोक्त मुकदमें में संलिप्त दिखा दिया। केस डायरी मे संलग्न नक्शानजरी के अवलोकन के स्पष्ट है कि कथित बरामदगी गोदाम परिसर के अन्दर से नही की गयी है, यदि गोदाम परिसर से की गयी होती तो उपरोक्त वाहन परिसर के अन्दर वहां खड़ा है, उसका जिक्र विवेचक ने नक्शा नजरी में प्रदर्शित नही किया है। प्रार्थी/अभियुक्त मात्र 10वीं पास तक की शिक्षा ग्रहण की है तथा अंग्रेजी पढ़ने लिखने में असमर्थ है। उक्त बरामद माल का नाम क्या है, यह माल किसका था, इसकी कोई भी जानकारी प्रार्थी/अभियुक्त को नही थी। केस डायरी के अवलोकन ते स्पष्ट है कि प्रार्थी का अन्य सह-अभियुक्त से किसी प्रकार का कोई लेन-देन व बात चीत का बोई साक्ष्य मौजूद नही है। मात्र कथन भर कि अभियुक्तों से बात चीत होती है, इसका कोई वजूद केस डायरी में मौजूद नही है। प्रार्थी कथित अभियुक्त को पुलिस विवेचना में प्रार्थी के बैंक खाते से किसी सह-अभियुक्त के खाते में न तो कोई पैसा आया है और न ही कोई पैसा गया है। इस प्रकार प्रार्थी का उपरोक्त अपराध में किसी प्रकार से साबित नहीं होती है। प्रस्तुत प्रकरण में सह-अभियुक्त के बयान व पुलिस वालो के बयान के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को दौरान विवेचना नामित किया गया है। कथित गोदाम के पकड़े गये माल से एवं उपलब्ध अभिलेख से प्रार्थी की बोई संलिप्तता साबित नही होती। प्रार्थी के उपरोक्त वाहन मे कोई माल न तो लदा है और न ही बरामद हुआ है और न ही किसी प्रकार से इसकी संलिप्तता बरामदगी के समय दिखायी गयी है। प्रार्थी अकेला परिवार

का कमाऊ सदस्य है। कथित अभियुक्त पता उपरोक्त का स्थायी निवासी है तथा बाद जमानत उसके पलायन की कोई सम्भावना नही है तथा रिहा होने के पश्चात् साक्षियों पर किसी प्रकार का कोई दबाव बनाने की कोई सम्भावना नही है तथा प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास पूर्व का नही है। प्रार्थी न्यायालय के आदेशानुसार अपनी जमानत व मुचलका दाखिल करने को तैयार है ।

4- विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कथन किया है कि केस डायरी पर अभियुक्त/आवेदक के घटना में संलिप्त होने का पर्याप्त साक्ष्य है, अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है, अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

5- अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

6- अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त/आवेदक के विरुद्ध निम्नलिखित अभियोग पंजीकृत होने की आख्या प्रस्तुत की गयी है।

क्र.सं	**मु.अ.सं.**	**थाना व जनपद**	**अपराध अंतर्गत धारा**
1.	343/2025	रोहनियां, जनपद वाराणसी	8/21/25/29 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम
2.	133/2026	रोहनियां, जनपद वाराणसी	3(1) उ.प्र. गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप(निवारण) अधिनियम।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त/आवेदक आजाद जायसवाल पर सह-अभियुक्तगण मनोज यादव आदि के साथ मिलकर कोडिनयुक्त कफ सिरप का अवैध भण्डारण करने व क्रय-विक्रय करने तथा नशे हेतु त्रिपुरा व अन्य जगहों पर तस्करी करने का अभियोग है।

पत्रावली पर उपलब्ध फर्द बरामदगी में सूजाबाद आर्मी ग्राउण्ड के पास स्थित गोदाम, अंतर्गत थाना रामनगर से 173 पेटी में कोडिनयुक्त Eskuf कफ सिरप 100 ml. की कुल 29,950 शीशियाँ तथा अभियुक्त/आवेदक का वाहन टाटा ऐस, पंजीयन संख्या UP65AR6253 बरामद होना दर्शित है।

केस डायरी के पर्चा संख्या 08 में विवेचक द्वारा सह-अभियुक्तगण मनोज यादव व लक्ष्य यादव के मोबाईल नंबरों के सी.डी.आर. का अवलोकन किया गया है, जिसके अनुसार दिनांक 01.10.2025 से 27.11.2025 के मध्य अभियुक्त/आवेदक की सह-अभियुक्त मनोज यादव से कुल 225 बार तथा सह-अभियुक्त लक्ष्य यादव से 354 बार व मौके से गिरफ्तार किये गये अभियुक्त रोहित कुमार वर्मा 14 बार वार्ता होना पाया गया है।

केस डायरी के पर्चा संख्या 43 में विवेचक द्वारा LMS Infra Pvt. Lmt. के बैंक खाते के स्टेटमेन्ट का अवलोकन किया गया है, जिसमें अभियुक्त/आवेदक जायसवाल द्वारा उक्त LMS Infra के खाते में दिनांक 21.12.2023 को 25 लाख रुपये तथा सह-अभियुक्त द्वारा भिन्न-भिन्न तिथियों में उपरोक्त LMS Infra खाते में 4.3 करोड़ रुपये व लक्ष्य यादव द्वारा कुल 45 हजार रुपये जमा किये जाना पाया गया है। केस डायरी के पर्चा सं. 44 में उक्त खाते का संचालन सह-अभियुक्त मनोज कुमार यादव व उसके परिजनों द्वारा किया जाना दर्शित है। प्रकरण में बरामद बैच नं. PEKSL087 की बरामदगी थाना बैजलबारी, जनपद खोवाई व थाना पी.आर.बी. जनपद दक्षिण त्रिपुरा तथा बैच नं. PEKSL089 की बरामदगी थाना सोनामुरा, जनपद सिपाहीजाला, प्रांत त्रिपुरा से होना दर्शित है।

प्रकरण में अभियुक्त/आवेदक का नाम घटनास्थल से बरामद उसके टाटा ऐस वाहन से प्रकाश में आया है तथा सह-अभियुक्तगण मनोज कुमार यादव व लक्ष्य यादव के बयान अंतर्गत धारा 180 बी.एन.एस.एस. से भी अभियुक्त/आवेदक की प्रकरण में संलिप्तता प्रथम दृष्टया प्रकट होती है। पत्रावली पर उपलब्ध विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में उपरोक्त बरामद कफ सिरप में कोडीन पाया जाना दर्शित है। प्रकरण में अभियुक्त की प्रकरण में संलिप्तता पाते हुये आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। आवेदक/अभियुक्त पर लगाया गया अभियोग अत्यन्त गम्भीर प्रकृति का है।

अतः पत्रावली पर प्रस्तुत किये गये समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों व अभियोग की प्रकृति व गंभीरता तथा बरामदशुदा कोडीनयुक्त कफ सिरप की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय की राय में प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

7. आवेदक/अभियुक्त **आजाद जायसवाल** द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-1951/2026 निरस्त किया जाता हैं।

(मनोज कुमार-II)
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/
एफ.टी.सी.(14 वाँ वि.आ.),वाराणसी।
जे.ओ.कोड-यू.पी.1827

दिनांकः 23.07.2026
Steno-Shahbaz